भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 968

दिनांक 27 जून , 2019 / 6 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

छोटे शहरों में विमान संपर्क

968. **श्री पी.पी. चौधरी:**
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ
श्री रवि किशन:
श्री मनोज तिवारी:
श्री चुन्नी लाल साहू:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में छोटे शहरों में हवाई संपर्क का विस्तार करने को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के लिए इस संबंध में किए जा रहे नए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जेट एयरवेज द्वारा उड़ान संचालन को रद्द किए जाने के कारण छोटे शहरों में सिर्फ एक से दो उड़ान सेवाएं उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन शहरों के लिए क्या योजना तैयार की जा रही है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ङ): नागर विमानन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय सम्पर्कता की सुविधा प्रदान करने/ सुगम बनाने एवं जनता के लिए विमान यात्रा को वहनीय बनाए जाने के उद्देश्य से दिनांक 21.10.2016 को क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (आरसीएस)-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) प्रारम्भ की गई है। क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के अंतर्गत एयरलाइन प्रचालकों को (1) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन प्रचालकों की लागत को कम करने के लिए रियायत दिए जाने तथा (2) क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन प्रचालकों की लागत एवं संभावित राजस्व के मध्य अंतर, यदि कोई हो, को भरने के लिए वित्तीय सहायता (व्यवहार्यता अंतर निधियन) प्रदान करने के माध्यम से क्षेत्रीय विमान सम्पर्कता के लिए वहनीयता को प्रोत्साहित करने की संकल्पना की गई है। क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के अंतर्गत समय समय पर आयोजित की जाने वाली बोली के लिए इच्छुक एयरलाइनों द्वारा किसी मार्ग विशेष के संबंध में किए गए मांग के मूल्यांकन के आधार पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं।

वायु निगम अधिनियम का निरसन होने के पश्चात से भारतीय एयरलाइन उद्योग अविनियमित कर दिया गया था। एयरलाइनों को अपने बेड़े में किसी भी प्रकार के विमान शामिल करने, किसी भी बाजार का चयन करने तथा सेवा के लिए किसी भी नेटवर्क में प्रचालन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अलावा, सरकार द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में

बेहतर विमान परिवहन सेवाओं की उपलब्धि के लिए मार्ग संवितरण दिशानिर्देश (आरडीजी) जारी किए गए हैं। किसी स्थान विशेष के लिए मांग एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर अपनी सेवाएं प्रारम्भ करने के कार्य एयरलाइनों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार एयरलाइनों को सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की शर्त पर देश में कहीं भी प्रचालन करने की स्वतंत्रता उपलब्ध है।

क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना – उड़ान श्रृंखला 1.0,2.0 तथा 3.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सोलह (16) असेवित / अल्पसेवित हवाईअड्डों का चयन किया गया है:-

1. आगरा
2. अलीगढ़
3. प्रयागराज
4. आजमगढ़
5. बरेली
6. चित्रकूट
7. फैजाबाद
8. गाजीपुर
9. झाँसी
10. कानपुर (चकेरी)
11. कुशीनगर
12. मेरठ
13. मुरादाबाद
14. मुइरपुर (कोरबा)
15. सहारनपुर
16. श्रावस्ती

आगरा, प्रयागराज तथा कानपुर (चकेरी) से क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना की उड़ानों का प्रचालन प्रारम्भ हो गया है। आगरा, प्रयागराज, कानपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, फैजाबाद तथा कुशीनगर के विकास के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज हवाईअड्डे का कार्य पूरा करके इसे प्रारम्भ कर दिया गया है। कानपुर तथा आगरा में स्थित हवाईअड्डों का आगे विकास किया जा रहा है। गोरखपुर हवाईअड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कर लिया गया है। हिंडन में नए सिविल एंक्लेव का उद्घाटन कर लिया गया है।

बिलासपुर हवाईअड्डे का विकास छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किया गया है तथा यह अब क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना – उड़ान के अंतर्गत उड़ानों के प्रचालन के लिए तैयार है। इसके संबंध में कोई मान्य बोली प्राप्त नहीं हुई है। भविष्य में मान्य बोली प्राप्त होने पर क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना – उड़ान के योजना दस्तावेज के अंतर्गत इसके संबंध में विचार किया जाएगा।

*****